

**पूर्व मध्य रेल
(कार्मिक विभाग)**

कार्यालय आदेश संख्या-02/2025

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०-161/09 दि० 03.09.2009 के आलोक में सुयोग्यता जाँच में सफल पाये जाने एवं डीएआर/एसपीई/विज केस से मुक्त होने की स्थिति में मुख्यालय/हाजीपुर के यांत्रिक विभाग के निम्नलिखित कर्मचारी को कार्यालय अधीक्षक, लेवल-6 से मुख्य कार्यालय अधीक्षक, लेवल-7 के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने विभाग में पदस्थापित किया जाता है:-

क्र०सं०	नाम(श्री)	पदनाम	पदोन्नति पदनाम	पदोन्नति पर पदस्थापना स्थल
01	देवेन्द्र मोहन	OS/Mech/HJP	Ch.OS	GM(Mech)/HJP

उपरोक्त कर्मचारी का MACPs के तहत पूर्व में वेतन का निर्धारण लेवल-07 में किया जा चुका है, अतएव इनका पदोन्नति पर वेतन यथावत रहेगा।

उपरोक्त पदोन्नति, कर्मचारी के पदोन्नत पद पर योगदान की तिथि से प्रभावी होगा। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट से यांत्रिक संवर्ग/कार्मिक विभाग एवं संबंधित बिल अनुभाग को अवगत कराया जाए।

Note:-The above promotion order shall be subject to further orders which may be passed by the Hon'ble Supreme court, as per DoP&T O.M. No. 36012/11/2016-Estt. (Res-I){Pt-II} dated-15.06.2018

यह सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

Signed by

Dilip Kumar

Date: 02-01-2025 16:28:19

(दिलीप कुमार)

सकाधि(एमएण्डई)

कृते महाप्रबंधक(कार्मिक)/हाजीपुर

सं०- ECR-HQOPERS(MECH)/185/2020 Computer no. 37752

दिनांक-02.01.2025

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रमुयाई/पूमरे/हाजीपुर।
2. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर।
4. कार्याधी/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर:- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल।